न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 78/2015

उनवान प्रकरण

मीरादेवी वेवा लज्जाराम आयु करीव 48 वर्ष जाति जाटव (चमार) निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार तहसील धौलपुर
2–पतरा पत्नि स्व0 दौलतराम नि0 सूरजपुरा तहसील धौलपुर " **दौराने अपील फोत** "
3–चरनसिंह ।
4–किरोरी । पुत्रगण स्व0 दौलतराम
5–मुन्नालाल । समस्त जातिगण जाटव
6–श्रीपति । समस्त निवासीगण ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर
7–रामनिवास ।
8–भगवानदेई पुत्री स्व0 दौलतराम पत्नि जसवन्तसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी ग्यासपुरा शाहगंज आगरा उ0प्र0
9–शमीला पुत्री दौलतराम पत्नि दाताराम जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा हाल निवासी इच्छाकपुरा जसूपुरा तहसील व जिला धौलपुर
10–नारायनसिंह । पिसरान वटोई समस्त जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम
11–महावीर । सूरजपुरा तहसील व जिला धौलपुर
12–रामवती । पुत्रीगण वटोई समस्त जातिगण जाटव
13–राजकुमारी । समस्त निवासीगण ग्राम सूरजपुरा
14–विमलादेवी । तहसील व जिला धौलपुर
15–लालपति पुत्र दुरजन जाति जाटव निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला धौ0
16–रूमा पत्नि स्व0 छोटेलाल ।
17–श्रीलाल । पुत्रगण ।
18–मोहरसिंह । छोटेलाल । समस्त जातिगण जाटव
19–महादेवी । पुत्रीगण ।
20–कमला । छोटेलाल ।
21–शिवदेई वेवा पन्नालाल । समस्त निवासीगण ग्राम सूरजपुरा
22–अरविन्द । पुत्रगण ।
23–संदीप । पन्नालाल ।
24–कुशमा । पुत्रीगण । तहसील व जिला धौलपुर
25–दीपू । पन्नालाल ।
26–नीतू । ।

.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 287 दिनांक 30.11.2004 बॉके ग्राम सूरजपुरा तहसील धौलपुर द्वारा तहसीलदार धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

उपस्थिति अभिभाषक :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से :– श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम सूरजपुरा में 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार दौलतराम पुत्र दुरजन जाति चमार निवासी सूरजपुरा थे। दौलतराम के निधनोपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से साज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 ने अपीलान्ट की बैक पर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया जिससे व्यथित होकर अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है क्योंकि दौलतराम के निधनोपरान्त अपीलान्ट का पति लज्जाराम जिसका कि निधन हो चुका है स्व0 दौलतराम का रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा0 9 के अलावा वर्ग प्रथम का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिस था तथा अपीलान्ट लज्जाराम की विधवा पत्नि है तथा स्व0 दौलतराम की समस्त सम्पत्ति के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 के अलावा वर्ग प्रथम की मृत पुत्र की विधवा पत्नि होने के नाते अधिकारिणी थी। लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत एवं पूर्णतः अवैध है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व न तो सूचना दी गयी तथा ना ही सुनवाई का मौका दिया गया लिहाजा नामान्तकरण आदेश काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पूर्णतः अवैध आदेश है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम वार अर्सा करीव 20 दिवस पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा09 द्वारा आराजी विवादग्रस्त से बेदखल करने की धमकी देने पर तथा धमकी से व्यथित होकर राजस्व रिकार्ड का जरिये अधिवक्ता अवलोकन करावाये जाने पर हुई तथा ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है फिर भी धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 287 ग्राम सूरजपुरा तहसील धौलपुर तारीखी 30.11.2004 को निरस्त फरमाया जाकर जॉच व सुनवाई हेतु तहसीलदार धौलपुर को रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं आये तथा उनके विरूद्व दिनांक 24.6.2016, 24.11.2016 एंव 2.2.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलव किया गया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई ।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है क्योंकि दौलतराम के निधनोपरान्त अपीलान्ट का पति लज्जाराम जिसका कि निधन हो चुका है स्व0 दौलतराम का रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा0 9 के अलावा वर्ग प्रथम का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिस था तथा अपीलान्ट लज्जाराम की विधवा पत्नि है तथा स्व0 दौलतराम की समस्त सम्पत्ति के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 के अलावा वर्ग प्रथम की मृत पुत्र की विधवा पत्नि होने के नाते अधिकारिणी थी। लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण में उसका नाम अंकित नहीं किया गया है जो काबिल खारिजी के है। एक निर्वसीयत हिन्दू की समस्त सम्पत्ति प्रथमतः प्रथम श्रेणी के समस्त वारिसान पर प्रकान्त होगी। यदि प्रथम श्रेणी के किसी भी वारिस को छोडकर नामान्तकरण खोला गया है तो ऐसा नामान्तकरण न तो वैध है तथा ना ही विधि सम्मत है। सभी विधिक वारिसान भूमि में हिस्सा के हकदार है जब तक कि हिस्सा छोड नहीं दिया जावे तथा विधिक वारिसको छोडकर खोला गया नामान्तकरण विधि के प्रतिकूल है। ग्राम पंचायत द्वारा मृतक की विधवा एवं पुत्री को छोडकर पुत्रों के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण के विरूद्व भी अपील सुनने में जिला कलक्टर सक्षम है क्योंकि कलक्टर अधिक अनुभव वाला व्यक्ति है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2012(2) पेज 850, आर आर टी 2013(2)पेज 766, आर आर टी 2002 (2) हाईकोर्ट की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर रिमाण्ड फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पुनः जांच कराया जाना उचित होगा।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम सूरजपुरा में 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार दौलतराम पुत्र दुरजन जाति चमार निवासी सूरजपुरा थे। दौलतराम के निधनोपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 ने अपीलान्ट की बैक पर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करा लिया दौलतराम के निधनोपरान्त अपीलान्ट का पति लज्जाराम जिसका कि निधन हो चुका है स्व0 दौलतराम का रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा0 9 के अलावा वर्ग प्रथम का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिस था तथा अपीलान्ट लज्जाराम की विधवा पत्नि है तथा स्व0 दौलतराम की समस्त सम्पत्ति के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 के अलावा वर्ग प्रथम की मृत पुत्र की विधवा पत्नि होने के नाते अधिकारिणी थी। लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण में उसका नाम अंकित नहीं किया गया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लज्जाराम पुत्र दौलतराम की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत पुरानीछावनी द्वारा जारी शिजरा प्रमाण पत्र जिसमें स्व0 लज्जाराम को दौलतराम का पुत्र होना बताया है एवं अपीलान्ट की पहचान पत्र की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथनों की पुष्ठि होती है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण बिना जॉच किये

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों से सर्वथा विपरीत है। इस तथ्य को विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 287 दिनांक 30.11.2004 ग्राम सूरजपुरा तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की जॉच कर अपीलान्ट को पुर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद जांच गुणावगुण के आधार पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner